<u>प्रेस नोट दिनांक 06.02.2021</u>

1. दिनांक 05.02.2021 को वादी श्री मो0 असद पुत्र आफताब अहमद पार्टनर वकास प्रोजेक्ट प्रा0लि0 कार्यालय अवध बिहार कालोनी खोजनपुर थाना को0नगर अयोध्या द्वारा सूचना दिया गया कि मो0 अली रिवान राना पुत्र मो0 अली नवी नि0 हयातनगर थाना गोसाईगंज सुलतानपुर अभियुक्त द्वारा वादी से 182374 रूपये का कोयला खरीदना, रूपये मांगने पर वापस हीला हवाली करना व रूपये न देना। जिसके सम्बन्ध में थाना को0नगर में मु0अ0सं0 80/21 धारा 406 भादवि का अभियोग पंजीकृत किया गया।

2. दिनांक 05.02.2021 को वादी श्री राजेश कुमार उपाध्याय पुत्र श्री शिव बहादुर उपाध्याय नि0 मकान नं0 144 न्यू कालोनी उसरू थाना को0नगर अयोध्या द्वारा सूचना दिया गया कि बुल्लन उपाध्याय पुत्र परमेश्वरदीन नि0 कादीपुर थाना कूडेभार जनपद सुलतानपुर आदि 05 नफर व 4–5 अज्ञात व्यक्ति अभि0गण द्वारा एक राय होकर वादी की गैर मौजूदगी में वादी के घर के गेट का कुण्डा तोड़कर घर में घुसकर साले व साली की पत्नी को गाली व जान माल की धमकी देते हुए मारना पीटना तथा वादी को फोन करके 5 लाख रूपये गुण्डा टैक्स मांगना, न देने पर हत्या करने की धमकी देना। जिसके संम्बन्ध में थाना को0नगर में मु0अ0सं0 81/21 धारा 147, 323, 504, 506, 427, 385, 452 भादवि का अभियोग पंजीकृत किया गया।

3. दिनांक 05.02.2021 को वादी उ0नि0 श्री हरिशंकर राय थाना को0नगर अयोध्या द्वारा सूचना दिया गया कि महेश मौर्या पुत्र कृष्णा प्रसाद मौर्या नि0 जप्ती वजीरगंज थाना को0नगर अयोध्या आदि 04 नफर **सभी गिर0** अभि0गण द्वारा सार्वजनिक स्थान पर ताश के पत्तो के साथ रूपये की हारजीत की बाजी लगाकर जुआ खेलना व पकडे जाना, मौके से मालफड़ व जामा तलाशी के कुल 2290 रू0 व ताश के 52 पत्ते बरामद होना। जिसके संम्बन्ध में थाना को0नगर में मु0अ0सं0 83/21 धारा 13 जुआ अधि0 का अभियोग पंजीकृत किया गया।

4. दिनांक 05.02.2021 को वादी उ0नि0 श्री संजय वर्मा एसआईटी विशेष जॉच लखनऊ द्वारा सूचना दिया गया कि 1. अधिवक्ता देशराज सिंह गौतम पुत्र सकतू सिह 2. अधिवक्ता इन्द्र सिह गौतम पुत्र पूरन चन्द नि0गण मलहीपुर रामपुर मनिहारन जनपद सहारनपुर अभि0गण द्वारा दायर किये गये वाद को प्रार्थना पत्र डालकर वापस ले लेना तथा याची का गलत पता बता कर दायर किये गये वाद को बिना बताये फर्जी निवास का पता डालकर वाद दूसरे जनपद मे स्थानान्तरित करा लेना, जहॉ पर वाद निर्णित होने के उपरान्त बीमा कम्पनी द्वारा रूपये नहीं जमा किया जाना। याची द्वारा बार–बार पूछने पर अभि0गण द्वारा स्पष्ट उत्तर न देना व मिथ्या सूचना देकर साजिशकर प्राप्त धनराशि रूपये हड़प लेना। जिसके संम्बन्ध में थाना रौनाही में मु0अ0सं0 55/21 धारा 193, 419, 420, 467, 468, 471, 120बी भादवि का अभियोग पंजीकृत किया गया।

5. दिनांक 05.02.2021 को वादी श्री सुनील कुमार पुत्र धीरेन्द्र सिह प्रबंधक लांसर्स नेटवर्क लिमिटेड 630 कोहिनूर इन्क्लेव वेस्ट एण्ड मार्ग सैदुल्ला जाब थाना महरौली नई दिल्ली द्वारा सूचना दिया कि साहबलाल पुत्र सीताराम नि0 बारून बाजार थाना इनायतनगर अयोध्या आदि 02 नफर अभि0गण द्वारा जे0के0 व्हाइट वाल पुट्टी मिश्रित कर विक्रय करना, मौके से 35 बोरी बरामद होना। जिसके संम्बन्ध में थाना इनायतनगर में मु0अ0सं0 48/21 धारा 63 कापी राइट एक्ट का अभियोग पंजीकृत किया गया।

6. दिनांक 05.02.2021 को वादी उ0नि0 श्री हरे कृष्ण थाना कुमारगंज अयोध्या द्वारा सूचना दिया गया कि आकाश तिवारी पुत्र राम नरायन तिवारी नि0 बवॉ थाना कुमारगंज अयोध्या **गिर0** अभियुक्त के कब्जे से 20 लीटर कच्ची शराब नाजायज बरामद होना। जिसके संम्बन्ध में थाना कुमारगंज में मु0अ0सं0 40/21 धारा 60 आबकारी अधि0 का अभियोग पंजीकृत किया गया।